UPRB010037712026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पंचम, रायबरेली।
उपस्थितः– गुणेन्द्र प्रकाश (एच०जे०एस०)
द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1587/2026

1. लाल बहादुर पुत्र जोधी यादव

2. अमरेश पुत्र लाल बहादुर

समस्त निवासीगण ग्राम पूरे कुंजन, थाना डलमऊ, जनपद रायबरेली।

––––प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ०प्र० राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

–––– अभियोगी।

सत्र परीक्षण संख्या– 474/2015
मुकदमा अपराध संख्या– 431/2015
अन्तर्गत धारा– 307, 34, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना–डलमऊ, जनपद रायबरेली।

दिनांक–04.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण लाल बहादुर व अमरेश की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 431/2015 अन्तर्गत धारा– 307, 34, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना डलमऊ, जिला रायबरेली में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण लाल बहादुर व अमरेश द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण सर्वथा निर्दोश व्यक्ति है अपराध उपरोक्त में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 31.05.2026 से अपराध उपरोक्त में न्यायिक अभिरक्षा में जिला करागार रायबरेली में निरूद्ध है। सत्र परीक्षण उपरोक्त माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय रायबरेली में शासन बनाम लाल बहादुर आदि थाना डलमऊ, जनपद रायबरेली में विचाराधीन है जिसमें तारीख पेशी 06.07.2026 नियत है। प्रार्थी/अभियुक्तगण अमरेश कुमार अपनी पत्नी की डिलवरी होने के कारण अस्पताल में होने

के कारण न्यायालय उपस्थित नहीं आ सका था एवं प्रार्थी/अभियुक्त संख्या 1 लाल बहादुर होमगार्ड के पद पर कार्यरत है एवं वर्तमान समय में एस०डी०एम० डलमऊ की सुरक्षा में तैनात थे, उनके सक्षम अधिकारी से छुट्टी स्वीकृत न होने के कारण न्यायालय उपस्थित नहीं आ सके थे एवं अपने अधिवक्ता को सूचित नहीं कर सके थे। जिससे प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 22.05.2026 को वारण्ट जारी हो गया था। अपराध उपरोक्त का क्रास केस शासन बनाम राजेश कुमार आदि अपराध संख्या 431 ए/15 अं०धारा 307, 34, 504, 506 आई०पी०सी० थाना डलमऊ, जनपद रायबरेली भी माननीय न्यायालय श्रीमान् जी के समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्तगण ने न्यायालय उपस्थित आने में जानबूझ करके कोई गलती नहीं की है। भविष्य में तारीख पेशियो पर न्यायालय उपस्थित आयेगे एवं मुकदमें के निस्तारण में सहयोग करेगा। प्रार्थी/अभियुक्तगण अमरेश कुमार की घर में नवजात छोटी बच्ची है जो बीमार रहती है जिसकी देखभाल एवं दवा–इलाज कराने वाला कोई नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण पूर्व में जमानत पर थे पुनः अपनी जमानते देने के लिये तैयार है व माननीय न्यायालय श्रीमान् जी के निर्देशों का अनुपालन करने को तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्तगण फरार नहीं होगे प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से लेकर अब तक बराबर तारीख/पेशी पर आ रहे है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अतिरिक्त किसी सत्र न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में न लम्बित है न ही विचाराधीन है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी/अभियुक्तगणों को जमानत मुचलके पर रिहा होने का आदेश पारित करने की कृपा की जाये।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और प्रार्थी/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का कथन किया है।

मैंने प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त मामले में अभियुक्तगण पूर्व में जमानत पर था। दौरान विचारण अभियुक्तगण के अनुपस्थित होने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया। अभियुक्तगण दिनांक 31.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध है। ऐसी स्थिति में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आधार जमानत पर्याप्त है। तद्नुसार, प्रार्थी/अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण **लाल बहादुर व अमरेश** की ओर से अपराध संख्या–431/2015, अन्तर्गत धारा 307, 34, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना डलमऊ, जिला रायबरेली के मामले में प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक अभियुक्त द्वारा **मु०–1,00,000/–रू०(एक लाख रूपये)** का निजी बंधपत्र एवं इसी राशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है।

(गुणेन्द्र प्रकाश)
अपर सत्र न्यायाधीश पंचम, रायबरेली।
(JO CODE–UP6443)

Digitally signed by Gunandra Prakash
Date: 2026.06.11 11:50:56 IST
Reason: Bail Order
Location: District and Sessions Court, Raebareli